111/निग०/रीवा/2017/3989

46

न्यायालय श्री मान् म० प्र० राजस्व मंडल ग्वालियर, कैम्प रीवा
॥ म० प्र० ॥

Rs-30/-

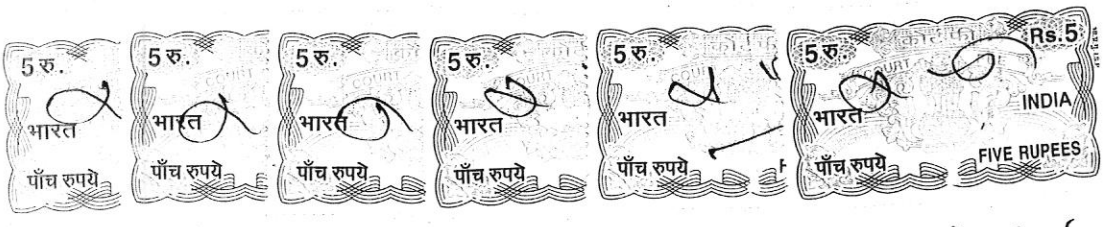

आवेदक यज्ञभान कुशवाहा
द्वारा रीवा/24.10.17
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1:- यज्ञभान तनय जगन्नाथ उम्र 44 वर्ष ,

2:- राजभान तनय जगन्नाथ उम्र 34 वर्ष ,

3:- रहसकली पुत्री जगन्नाथ उम्र 49 वर्ष ,

सभी जाति काछी ॥ कुशवाहा ॥ पेशा खेती निवासी ग्राम चोखड़ा उर्फ चमदिया ॥ चमदिया ॥ पो० आ० पुरबा थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा ॥ म० प्र० ॥ --- --- आवेदक गण / पुनरीक्षण कर्ता

बनाम

जमुना तनय शोभई उम्र 74 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम चोखड़ा उर्फ चमदिया ॥ चमदिया ॥ पो० आ० पुरबा थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म० प्र० ---- --- अनावेदक / गैर पुनरीक्षण कर्ता

पुनरीक्षण ॥ निगरानी ॥ आदेश श्री कमलेश पुरी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज प्रकरण क्र० 55ए74/2012-13 आदेश दिनांक 26-7-17 अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू-रा० सं० 1959 ई०

मान्यवर ,

पुनरीक्षण आवेदन के आधार निम्न है :-----

1 :- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ॥ अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज ॥ का आदेश विधि विरुद्ध एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तो के विपरीत होने से स्थिर रखने योग्य नही है ।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट ,

यज्ञभान कुशवाहा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3989

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-18	आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मउगंज जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 55अ–74/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–7–17 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम चौखड़ा उर्फ चमढ़िया की भूमि खसरा नंबर 159, 160/2, 161/2, 163, 238, 239, 240 के बटवारे का प्रकरण तहसीलदार नईगढ़ी के समक्ष दायर हुआ था। तहसीलदार नईगढ़ी ने प्रकरण क्रमांक 79/अ–6/2010–11 में गलत ढंग से आदेश दिनांक 30–10–12 पारित करते हुये बटवारा पुल्ली मंगाई है जिसके कारण तहसीलदार का यह आदेश म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 56 के अनुसार अंतिम श्रेणी का था किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इस आदेश को अंतरिम आदेश मानकर अपील निरस्त करने में भूल की है इसलिये तहसीलदार नईगढ़ी का आदेश दिनांक 30–10–12 एंव अनुविभागीय अधिकारी मउगंज का आदेश दिनांक 26–7–17 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जावें। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के आदेश दिनांक	

26–7–17 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब आवेदकगण के अभिभाषक स्वयं् स्वीकार कर रहे हैं कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–10–12 से हलका पटवारी को बटवारा पुल्ली (फर्द) मंगाने के निर्देश दिये हैं तब निश्चित है कि तहसीलदार ने प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं किया है अपितु बटवारा प्रकिया अनुसार पटवारी से पुल्ली (फर्द) मांगी है जो पटवारी द्वारा सभी पक्षकारों की मौजूदगी में भूमि के कब्जे के मान से एंव पक्षकारों की सहमति/असहमति एंव भूमि की किस्म के अनुसार तैयार कर तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। स्पष्ट है कि तहसीलदार ने प्रकरण का निराकरण अंतिम रूप से नहीं किया है। तहसीलदार का यह आदेश अंतरिम आदेश है जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रचलनयोग्य एंव सुनवाई योग्य न होने से अग्राह्य की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मउगंज जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 55अ–74/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–7–17 विधि में विहित व्यवस्था के अनुरूप है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य